राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष न.:0141–2711978, 2711938

क्रमांकः प. 135 / नि.अ.मा.वि. / छात्रा. संचा. / 2021–22 / पार्ट / 10837 जयपुर, दिनांकः 17-12-21

आदेश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए अल्पसंख्यक छात्र व छात्राओं के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं / स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से अनुदानित छात्रावासों के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की संबंधित गठित जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन समिति के द्वारा उपयुक्तता की जाँच कराये जाने एवं उनके द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर निम्नवत् जिला मुख्यालयों / अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में उनके सम्मुख अंकित स्वयंसेवी संस्थाओं / स्वैच्छिक अभिकरणों को अल्पसंख्यक बालक / बालिका छात्रावास संचालन की सत्र 2021–22 की अवधि हेतु अस्थाई स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	जिला मुख्यालय / अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक का नाम	स्वयंसेवी संस्था का नाम	छात्रावास संचालन का स्थान	छात्रावास का प्रकार एवं छात्रावास की स्वीकृत क्षमता (बैडेड)	विशेष विवरण
1	अलवर (जिला)	Center for Development Communication and studies 133, Devi Nagar, Nannu Marg, New Sanganer Road, Sodala, Jaipur 01412295533	बख्तल की चौकी, दिल्ली रोड, अलवर	बालक / 50 बैडेड	किरायानामा जमा कराने की शर्त पर अनुमति दी जाती है।
2	रामसर (बाड़मेर)	रेगिस्तान शिक्षण संस्थान, पांधी का पार, 9588204989	रेगिस्तान शिक्षण संस्थान, पांधी का पार, रामसर, बाड़मेर	बालक / 50 बैडेड	भवन की मूल फोटो जमा कराने की शर्त पर अनुमति दी जाती है।
3	भरतपुर (जिला)	राजलोक सेवा समिति खेड़ी देवी सिंह, नदबई, 8769239789	गोपालगढ़ मोहल्ला, भरतपुर	बालक / 50 बैडेड	किरायानामा जमा कराने, शौचालय की अतिरिक्त व्यवस्था करने की शर्त पर अनुमति दी जाती है।
4	पहाड़ी (भरतपुर)	एस आर विद्या मन्दिर समिति पहाड़ी, 9828122194	जैन मन्दिर के पास कस्बा पहाड़ी, भरतपुर	बालक / 50 बैडेड	किरायानामा जमा कराने की शर्त पर अनुमति दी जाती है।
5	पहाड़ी (भरतपुर)	इकरा मानव सेवा संस्थान कैथवाड़ा, पहाड़ी, 8769116132	तिवाड़ी मार्केट मेन रोड, पहाड़ी, भरतपुर	बालिका / 50 बैडेड	किरायानामा जमा कराने एवं वार्डन की व्यवस्था करने की शर्त पर अनुमति दी जाती है।
6	जैसलमेर (जिला)	नवयुवक मण्डल जैसूराणा, 9982204786	डिब्बा पाडा, जैसलमेर	बालक / 50 बैडेड	किरायानामा जमा कराने की शर्त पर अनुमति दी जाती है।
7	मोहनगढ़ (जैसलमेर)	मदरसा कादरिया फैजे सिकन्दरिया संस्थान, जैसलमेर, 8619957662	हॉस्पिटल के पीछे, मोहनगढ़, जैसलमेर	बालक / 50 बैडेड	–
8	नाचना (जैसलमेर)	मदरसा कादरिया फैजे सिकन्दरिया संस्थान, जैसलमेर, 8619957662	मुख्य बाजार एवं मदरसे के पास, नाचना, जैसलमेर	बालक / 50 बैडेड	–
9	घड़साना (श्रीगंगानगर)	ममता जनकल्याण समिति, अनूपगढ़, वार्ड न. 5, अनूपगढ़, 9649695932	चक 03 एस.टी.आर, घड़साना	बालक / 50 बैडेड	किरायानामा जमा कराने की शर्त पर अनुमति दी जाती है।

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रावास नियमावली एवं छात्रावास योजना से संबंधित आदिनांक तक जारी दिशा–निर्देश एवं परिपत्रों के अन्तर्गत उक्त आदेश की पालना में संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं चयनित स्वयंसेवी संस्था के द्वारा निम्नांकित कार्य भी सम्पन्न करने होंगेः–

1. चयनित स्वयंसेवी संस्था को संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में रूपये 500.00 के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध (MoU) 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
2. चयनित स्वयंसेवी संस्था (प्रथम पक्ष) को राज्य सरकार की स्वीकृत दरों एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रावास नियमावली के अनुसार संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (द्वितीय पक्ष) से अनुबंध करना आवश्यक होगा और अनुबंध की शर्तों की पालना करने/कराने का उत्तर दायित्व संबंधित दोनो पक्षों का होगा।
3. स्वीकृत अनुदानित छात्रावास में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रवेश छात्रावास नियमावली/आदेश के तहत जिला प्रवेश समिति की अभिशंषा के आधार पर ही दिया जाना आवश्यक होगा। जिला प्रवेश समिति की अभिशंषा के पश्चात् अनुमोदित सूची संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा संस्था को कार्यालय प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जावे, जिसके आधार पर ही संबंधित संस्था प्रवेशार्थियों को छात्रावास में रख सकेगी।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं चयनित स्वयंसेवी संस्था द्वारा अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास का संचालन विभागीय छात्रावास नियमावली के तहत निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार निश्चित समय पर प्रारम्भ करने का सम्मिलित दायित्व होगा।
5. चयनित स्वयंसेवी संस्था को विभाग की छात्रावास नियमावली के तहत छात्रावास संचालन से संबंधित समस्त निर्धारित रिकार्ड का संधारण जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निर्देशन में करना अनिवार्य होगा।
6. अल्पसंख्यक मामलात् विभाग द्वारा समय–समय पर छात्रावास से संबंधित जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों का भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निर्देशन में छात्रावास संचालक संस्था को पालना करनी आवश्यक होगी।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन भवनों में सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण नहीं है, को छात्रावास संचालन से पूर्व पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्रावास भवन के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाकर विभाग की ओर से प्रदत्त समस्त सुविधाओं को उल्लेखित करेंगे ताकि छात्र/छात्राओं व उनके परिजनों को उन्हे मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी हो सके।
9. संस्था द्वारा छात्रावास संचालन से पूर्व आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
10. छात्रावास संचालन के दौरान यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से संचालक बीच सत्र में छात्रावास संचालन नही कर पाता है तो नियमानुसार संचालक को एक माह पूर्व विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा स्वीकृति पश्चात ही छात्रावास बंद किया जा सकेगा अन्यथा पूरे शैक्षणिक सत्र में छात्रावास का संचालन संस्था द्वारा किया जावेगा। बीच सत्र में बिना किसी सूचना एवं स्वीकृति के संचालक छात्रावास का संचालन नही करता है तो धरोहर राशि जब्त कर संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

11. विभागीय अधिकारियों अथवा जिला कार्यालय के अधिकारियों द्वारा छात्रावास के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर प्रथम बार में संस्था को एक सप्ताह में सुधार हेतु नोटिस दिया जायेगा, दूसरी बार अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार मासिक देय भुगतान राशि मे से 10 प्रतिशत की पेनेल्टी काटकर संख्या के अनुरूप भुगतान संस्था को किया जायेगा। तीसरी बार अनियमितता पाये जाने पर संस्था से एम.ओ.यू. रद्द कर ब्लैक लिस्टेड करते हुए धरोहर राशि जब्त कर ली जावेंगी।
12. राज्य सरकार द्वारा COVID-19 प्रॉटोकाल के तहत समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना संबंधित संस्था द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
13. अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा छात्रावास संचालन के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक होगा।
14. छात्रावास संचालन को लेकर विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
15. सत्र 2021–22 की अवधि में अनुमोदित संस्थाओं के द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर स्वयंसेवी संस्थाओं को जारी किये गये स्वीकृति आदेश स्वतः ही निरस्त/अप्रभावी समझे जावें।

16.12.2021

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांकः प. 135/नि.अ.मा.वि./छात्रा. संचा./2021–22/पार्ट/10838–49 जयपुर, दिनांकः 17-12-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. उपनिदेशक प्रथम/द्वितीय/पीएमजेवीके अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. सहायक निदेशक प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. चयनित स्वंयसेवी संस्था/स्वैच्छिक अभिकरण ------------------ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

16.12.21

(शरफुद्दीन बेग)
सहायक निदेशक (प्रथम)